राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी –

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 117/2018

GCMS No. 2018/00723

1. मदन लाल पुत्र किशना उम्र 78 साल
2. बसन्त लाल पुत्र किशना जाति रैबारी निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. धोली देवी पत्नी मालाराम उम्र 62 साल
4. अमरजीत पुत्र मालाराम उम्र 32 साल
5. सुषमा पुत्री मालाराम उम्र 34 साल रैबारी निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. विक्रम सिंह
2. अनिल सिंह पुत्रान रोहतास जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मुकेश सिंह पुत्र भंवर सिंह
4. बिजेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. जसवन्त पुत्र बख्तावर
6. चन्द्रभान पुत्र भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. सत्यवीर पुत्र इन्द्राज जाति अहीर निवासी झांझा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. गजानन्द
9. बजरंग लाल
10. रामवतार
11. गोविन्द पुत्रान दलीप चन्द जाति .... निवासी गजानन्द एण्ड कम्पनी महाराज गंज हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश (फौत)

11/1 सन्तोष बाई पत्नी गोविन्द
11/3 विनोद पुत्र गोविन्द
11/3 आशीष पुत्र गोविन्द

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा– रिका[illegible]स्ती व स्थाई [illegible]

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक– 04.08.2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि गत ख.नं. 595 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 का खातेदार काश्तकार अर्जन सिंह पुत्र मंगल सिंह राजपूत निवासी बुहाना दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में से वादी सं. 1 व 2 के पिता व वादी सं. 3 के ससुर व वादी सं. 4 व 5 के दादा किशन पुत्र रावत सिंह ने उक्त अर्जन सिंह से 10 बिस्वा भूमि गत ख.नं. 595/1 में से दिनांक 20.02.1968 को जरिये विक्रय पत्र के क्रय की थी तथा उक्त अर्जन सिंह ने अपनी भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का बेचान कर वादीगण को इस भूमि के उत्तरी पूर्वी कौने पर कब्जा करवा दिया तथ उस समय बाहमी बंटवारा करके भूमि काश्त हेतु संभला दी। वादी सं. 1 व 2 के पिता तथा वादी सं. 3 के ससुर व वादी सं. 4 व 5 के दादा ने भूमि क्रय करने के पश्चात अपनी भूमि का नामांतरकरण भी अपने नाम से दर्ज करवा दिया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 की जमाबन्दी में आ चुका है। तथा वादी सं. 1 व 2 के पिता व वादी सं. 3 के ससुर व वादी सं. 4 व 5 के दादा के नाम से गत ख.नं. 595/2 रकबा 10 बिस्वा की खातेदारी दर्ज हो गई व शेष बची प्रतिवादी सं. 8 लगा. 11 ने क्रय करली तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 8 लगा. 11 ने अपनी अपनी भूमि 595 का मौके पर बाहमी बंटवारा कर लिया व बंटवारे के अनुसार इस भूमि का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 लगा. 11 के हिस्से में आया हुआ है जिस पर प्रतिवादी सं. 8 लगा. 11 ने पुख्ता दीवार बना रखी है तथा वादी के हिस्से में उतरी पूर्वी हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादीगण काश्त करते है व पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। भूमि गत खसरा नंबर 595 के पैमाईश के पश्चात हाल खसरा नंबर 1550, 1551, 1549, 1552 दर्ज किये है जबकि नक्शे में खसरा नंबर 1552 को तरमीम नहीं किया गया है। सैटलमेंट विभाग ने गलती व भूलवश वादीगण की भूमि ख.नं. 1551 को दक्षिणी पूर्वी कौने में दर्ज कर दिया तथा खसरा नंबर 1552 रकबा 0.17 है. का नक्शा तरमीम नहीं किया जबकि जहां ख.नं. 1551 दर्ज है उस जगह 1552 दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा ख.नं. 1548 में से भूमि 0.03 है. रास्ते में दर्ज है वह वादीगण की खातेदारी में दर्ज करते हुए वादीगण के हिस्से में 0.11 है. भूमि दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है :–

(क) वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नंबर 595 जिसमें से वादीगण के हिस्से में आई भूमि 595/2 रकबा 10 बिस्वा जिसका हाल खसरा नंबर 1551 व 1548 है जो बाहमी बंटवारे में वादीगण का कब्जा है जो इस भूमि के उत्तरी पूर्वी कौने पर है जहां नक्शे में ख.नं. 1548 दर्ज है उस जगह पर ख.नं. 1551 रकबा 0.11 है. दर्ज किया जावे तथा जहां वर्तमान में ख.नं. 1551 रकबा 0.08 है. जो इस नक्शे के दक्षिणी पूर्वी कौने में दर्ज है उसको ख.नं. 1552 रकबा 0.17 है. दर्ज कर रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम से दर्ज किया जावे जो 1517 वर्गगज बनती है जिसको हैक्टेयर में परिवर्तन करने पर 0.1069 है. बनता है।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि ख. नं. 1547 के पूर्व में स्थित ख.नं. 1548 की भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में नक्शे में भी अलग दर्शा रखा है जिसके पूर्व में आम रास्ता है जिसकी उत्तर की लम्बाई पूर्व से पश्चिम 64 फुट 4 इंच, दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम 146 फुट व पश्चिम तथा ख.नं. 1547 की तरफ पश्चिमी तरफ पूर्व से पश्चिम 138 फुट 3 इंच व पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण जिसके पश्चात पूर्व में कटानी रास्ता दर्ज है 112 फुट 7 इंच है उसमें जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 18:59:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करें तथा ना ही निर्माण सामग्री डाले तथा जब तक ख.नं. 1547 की पूर्वी सीमा तय नहीं हो जाती है तब तक निर्माण कार्य ना करें। ऐसा ना स्वयं करें तथा ना ही अपने रिश्तेदारों, परिजनों, मित्रगण आदि से करावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 के वारिशान की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। जवाब दावा के अनुसार वाद वादीगण अनुतोष को अस्वीकार किया है।

प्रतिदावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती इस प्रकाश पेश किया है कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नंबर 595 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा में से 17 बिस्वा उतर से दक्षिण सीमा की ओर चार दीवारी के अन्दर की भूमि प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 के हकपूर्वाधिकारी स्व. दुलीचंद पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण महाजन ने उक्त अर्जुन सिंह पुत्र स्व. मंगल सिंह राजपूत निवासी बुहाना से क्रय की थी जिस पर वह खरीद के समय से ही चार दीवारी लगाकर काबिज काश्त रहे है तथा उनके देहान्त के बाद वर्तमान में प्रतिवादी सं. 8 से 11 काबिज काश्त हैं। वादग्रस्त भूमि हाल ख.नं. 1551 रकबा 0.08 है. भूमि जो कि सतनाली से बुहाना जाने वाली सड़क के सहारे बनी प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 की दुकानों के सहारे चार दीवारी के भीतर स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 खरीद की तिथि से आज तक निरनतर शांतिपूर्वक काबिज है। इस प्रकार भूमि हाल ख.नं. 1551 पर कभी भी वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। लेकिन दिनांक 22.11.1983 को जरिये मिसल सं. 172 दिनांक 22.11.1983 को ए.आर.ओ. ने बिना किसी अधिकारिता के विधि विरूद्ध मौके पर गये बिना ही तथा प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 के हकपूर्वाधिरी को सुने बिना खातेदारी की भूमि हाल ख.नं. 1551 रकबा 0.08 है. की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करदी जबकि उसे ऐसा करने का कोई वैधानिक हक प्राप्त नहीं था। इसलिए प्रतिदावाकर्तागण को यह प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 1551 रकबा 0.08 है. भूमि के प्रतिदावाकर्तागण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इस भूमि के रिकार्ड ऑफ राईटस से वादी का नाम हजफ किया जाकर तद्नानुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करने की कृपा करें।

(ख) वादीगण के हक वाली भूमि हाल ख.नं. 1548 के नक्शे को दुरूस्त किया जाकर उनके रिहायशी मकानों के आगे खाली पड़ी भूमि के रकबा 0.11 है. को वादीगण के हक की जमीन में समायोजित कर इसी प्रकार रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कृपा करें तथा उसी अनुसार ख.नं. 1548 का नक्शा रकबा 0.11 है. का बनाते हुए दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 12 राज्य सरकार की ओर तहसीलदार (भू.अ.), बुहाना ने जरिये पत्र [illegible] निरीक्षक वृत बुहाना व क्रमांक: भू.अ./2022/1039 दिनांक 26.04.222 [illegible] जो शामिल पत्रावली की पटवारी हल्का की संयुक्त फर्द मौका [illegible] गई।

वादीगण की ओर से राजस्व [illegible] नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2012, संवत् 2019–22, संवत् 2015, [illegible] प्रति जमाबन्दी संवत् 2027–30, संवत् 2031–34, संवत् 2058–61, नकल भू–प्रबन्ध विभाग पर्चा खतौनी, फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2050–53, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73, संवत् 2070–73 खाता सं. 1,

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

खाता सं. 225, खाता सं. 190, खाता सं. 563, खाता सं. 681, फोटो प्रति बिचौती पत्र दिनांक 20.06.68, नकल नामांतरकरण, नकल नक्शा किश्तवार संवत् 1993 सन् 1936–37, नकल नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहाना व पटवार हल्का की संयुक्त रिपोर्ट एवं विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8 से 11 ने दी सहमति के मुताबिक वाके ग्राम बुहाना स्थित खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.03 है. किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 1551 रकबा 0.08 है. की भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 की खातेदारी है उक्त भूमि जबकि वादीगण के नाम दर्ज जो कि मौके के एवं कब्जेकास्त के विपरित होने से उक्त भूमि के रिकार्ड आफ राईट्स से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। तथा वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.17 है. में से कब्जे के अनुसार रकबा 0.08 है. है, खसरा नम्बर 1548 में समायोजित कर उक्त खसरा नम्बर 0.11 है. किया न्यायोचित है, तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 1552 का शेष रकबा 0.09 है. भूमि को गै.मु. रास्ता धोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके **ग्राम बुहाना** तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1551 रकबा 0.08 है. की खातेदारी वादीगण का नाम हजफ कर प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 को खातेदार धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) हाल खसरा नंबर 1552 रकबा 0.17 है. में से 0.08 है. रकबा कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1548 में मिलाया जाकर कुल रकबा 0.11 है. का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता ह तथा खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.03 है. जो कि किस्म रास्ते के रूप में दर्ज है उसे निरस्त करबा 0.11 है. वादीगण को खातेदार धोषित किये जाते है। (3) हाल खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.17 है. मे से रकबा 0.09 है. भूमि को किस्म गै.मु. रास्ता धोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 के मौका कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट 26.04.2022 प्रदर्श– अ–1 लगायत अ–3 व नक्शा ट्रेस ब–1 लगायत ब–2 निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सार्वजनिक सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 117 / 2018 GCMS No. 2018/00723

1. मदन लाल पुत्र किशना उम्र 78 साल।
2. बसन्त लाल पुत्र किशना जाति रैबारी निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. धोली देवी पत्नी मालाराम उम्र 62 साल
4. अमरजीत पुत्र मालाराम उम्र 32 साल
5. सुषमा पुत्री मालाराम उम्र 34 साल रैबारी निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. विक्रम सिंह
2. अनिल सिंह पुत्रान रोहतास जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मुकेश सिंह पुत्र भंवर सिंह
4. बिजेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0ण
5. जसवन्त पुत्र बख्तावर
6. चन्द्रभान पुत्र भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. सत्यवीर पुत्र इन्द्राज जाति अहीर निवासी झांझा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. गजानन्द
9. बजरंग लाल
10. रामवतार
11. गोविन्द पुत्रान दलीप चन्द जाति .... निवासी गजानन्द एण्ड कम्पनी महाराज गंज हैदाराबाद, आन्ध्रप्रदेश (फौत)

11/1 सन्तोष बाई पत्नी गोविन्द

11/3 विनोद पुत्र गोविन्द

11/3 आशीष पुत्र गोविन्द

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested

दावा– रिकार्डदुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति मे तथा प्रतिवादी सं. 8 से 11 की ओर से श्री रोहित पोषवाल एडवोकेट की उपस्थिति में में इस वाद में आज तारीख **04.08.2023** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके **ग्राम बुहाना तहसील** बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1551 रकबा 0.08 है. की खातेदारी वादीगण का नाम हजफ कर प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 को खातेदार धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) हाल खसरा नंबर 1552 रकबा 0.17 है. में से 0.08 है. रकबा कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1548 में मिलाया जाकर कुल रकबा 0.11 है. का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता ह तथा खसरा नम्बर 1548 रकबा 0. 03 है. जो कि किस्म रास्ते के रूप में दर्ज है उसे निरस्त करबा 0.11 है. वादीगण को खातेदार धोषित किये जाते है। (3) हाल खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.17 है. मे से रकबा 0.09 है. भूमि को किस्म गै.मु. रास्ता धोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 8 से 11 के मौका कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट 26.04.2022 प्रदर्श– अ–1 लगायत अ–3 व नक्शा ट्रेस ब–1 लगायत ब–2 निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:33 IST
Reason: SelfAttested